

SHRI JITIN PRASADA: There are talks. Unless these issues are clarified, no time frame can be given. These are issues of vital importance. How can you set a time- frame when these issues have not been sorted out?

प्रो. राम गोपाल यादव : श्रीमन्, लोगों के मन में दो सवाल हैं, एक तो सिक्योरिटी का सवाल है और दूसरा सवाल अमैरिकन प्रेशर का है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस संबंध यूएस से क्या आपकी कोई वार्ता हुई है? आप कृपया इसका स्पैसिफिक जवाब देने की कृपा करें।

श्री मुरली देवरा : अमरीका के एनर्जी सेक्रेटरी श्री ब्रॉडमैन लास्ट ईयर जब भारत वर्ष आए, तब उन्होंने भी हमसे यह बात पूछी, लेकिन हमने उनसे क्लीयर-कट कहा और उनको यह मालूम भी था कि यह हमारा आपस का मामला है एवं ईरान, पाकिस्तान और भारत, तीनों ही इस बात पर सहमत हैं। इस बारे में अमरीका की तरफ से कोई भी एक्सपेक्शन नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि अमरीका में एक क्रायदा चल रहा है, जिसका नाम है, "ईरान-लिविया सैक्शन ऐक्ट"। इस ऐक्ट के अनुसार अगर कोई कंट्री या कोई कंपनी ईरान में 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है तो उस पर अमरीकन गवर्नमेंट की सैक्शनस लग सकती हैं। लेकिन हमारे यहां उसके लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे पुरा विश्वास है कि इसमें किसी भी अमरीकन कंपनी का किसी तरह का कोई हाथ नहीं रहेगा।

* 222. [The questioner (Ms. Sushila Triya) was absent. For answer *vide* page 22 *infra*]

Inclusion in ST List

*223. SHRIMATI BRINDA KARAT: Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Mowar/Mauwar was enlisted in Scheduled Tribes (ST) list till 1950;

(b) if so, the reasons for exclusion of this community from the ST list;

(c) whether Government has received any representation from this community for consideration of their tribe to be included again in the ST list; and

(d) if so, the present status of the case?

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI KANTI LAL BHURIA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No, Madam. The first list of Scheduled Tribes was notified on 06/09/1950 through the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, wherein "Mowar/Mauwar" does not appear as a Scheduled Tribe in any of the listed States.

(c) and (d) The Ministry of Tribal Affairs received a proposal dated 22/08/2003 from the State Government of Chhattisgarh for inclusion of "Mowar" in the list of Scheduled Tribes in Chhattisgarh. The proposal has been processed as per modalities approved by the Government on 15/06/1999, which provides that the proposal of the State Government must be agreed to by the Registrar General of India and the National Commission for Scheduled Tribes. The Office of the Registrar General of India has not supported this proposal *vide* its letter dated 27/03/2006. The Ministry of

Tribal Affairs communicated this to the State Government of Chhattisgarh on 31st May, 2006 followed by a reminder on 14th December, 2007 but no further justification in support of its proposal has been received from the State Government.

श्रीमती वृंदा कारत : सर, मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब दिया है कि 1950 में ही वह पहली सूची constitutionally निकाली गई थी और उसमें 'मोवार या मउवार' जाति का कोई नामोनिशान नहीं है। सर, मेरा सवाल यह था कि 1950 तक आदिवासियों की किसी सूची में क्या मोवार जाति का कोई नाम था? इस पर आपने कहा कि नहीं था, लेकिन हकीकत यह है कि उसका नाम था। नागपुर के 31 मार्च, 1949 मध्य प्रांत और बरार गवर्नमेंट ऑर्डर नम्बर 3662/777/12 में मवार का नाम सीरियल नम्बर 75 पर दर्ज है। इस तरह आदिवासियों की सूची में 1950 से पहले जो सरकारी ऑर्डर थे, उसमें मोवार जाति का नाम है। मैं यह जानना चाह रही हूँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार – पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने सिफारिश की और उसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी सिफारिश की, तो इस तरह इस जाति के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है। ये आदिवासी हैं। इनका पूरा रहन-सहन ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के साथ है, ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: What is the question?

श्रीमती वृंदा कारत : तो आज यह जो अन्याय है, कम-से-कम इसको हटाने के लिए केन्द्र सरकार कोई उचित कदम उठाएगी या नहीं?

श्री कांतिलाल भूरिया : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या की भावना को समझते हुए इनको यह बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्र भारत में संविधान लागू होने से पहले देश में अंग्रेजों के समय में जनजातियों की कोई अनुसूचित सूची नहीं थी। जब देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया तथा संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियों को अनुसूचित करने की व्यवस्था उसमें रखी गई। मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित जनजाति की प्रथम सूची 06.09.1950 को संविधान के आदेश 1950 के माध्यम से अधिसूचित की गई, जिसमें मोवार जाति किसी भी राज्य में जनजातियों की सूची में सूचीबद्ध नहीं थी। इसके साथ ही उसमें जो बातें आई हैं, वे भी मैं इनको बता देता हूँ। दिनांक 06.09.1950 को संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 के माध्यम से पहली सूची जो जारी हुई है, उसमें मैं यह बताना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश – मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उस समय एक ही राज्य था – महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल की पहली सूची जारी हुई थी, उसमें यह नहीं है। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ।

श्रीमती वृंदा कारत : सर, मैं फिर यह कहना चाहती हूँ कि इनकी सूची गलत है। भूमि के सम्बन्ध में सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी कॉपी मेरे पास यहाँ है। उसमें जनजातियों-आदिवासियों के नाम में 75 नम्बर पर मोवार जाति का नाम है। मैं आपको यह डॉक्यूमेंट दे देती हूँ। उसको आप देख लीजिए। अगर यह सच है, तो उसके बारे में आप कदम उठाइए। मैं यह उम्मीद करती हूँ कि आप उसमें कुछ जरूर करेंगे।

सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि जनजातियों की स्वीकृति का जो सवाल है, उसमें अभी पूरे देश में ऐसी कितनी मिसालें हैं कि arbitrarily किसी स्टेट में वे SA के रूप में स्वीकृत हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कोल जाति SA है,

जबकि उत्तर प्रदेश में कोल जाति SC है। मैं कब से इस बात की पांग कर रही हूँ कि इनको वहाँ SA बनाना चाहिए। सर, असम में जितने tea tribes हैं, वे बाकी प्रदेशों, जैसे बिहार और झारखंड, में SA हैं, लेकिन असम में अभी भी उनकी ट्राइब्स की हैसियत से कोई स्वीकृति नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी पिसालें हैं, मैं यहाँ उनकी पूरी सूची रख भी सकती हूँ, लेकिन समय का अभाव है। पेरा यह प्वायंट है कि क्या Social Justice and Empowerment Ministry इसके बारे में किसी कमेटी का गठन कर के इस सूची में जितनी भी इस प्रकार की anomalies हैं, उसको देखने का काम करेगी? इसके साथ ही क्या इसको एक time bound framework में करेंगे, ताकि यह जो * है - यह शब्द इस्तेमाल करना शायद गलत होगा...। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप इसे एस.टी. की दृष्टि से देखेंगे तो यह * है, वे अपने अधिकार से वंचित हैं। इसलिए क्या इस बारे में एक कमेटी का गठन करके इन सारी दिक्कतों की जांच करवाएंगे?

श्री कान्तिलाल भूषिया : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि अनुसूचित जनजाति शब्द भारत के संविधान में पहली बार आया तो उस बात को लेकर हम यह कह सकते हैं कि उनकी प्रक्रिया अलग-अलग है। जो भी आवेदन राज्य सरकार को दिए जाते हैं, उन्हें राज्य सरकार भारत के मन्त्र-परिषद को देती है, उसके बाद वह अनुसूचित जनजाति आयोग के श्रुत थपारे पंचालय में आता है। फिर हम उसे कैबिनेट में रखते हैं और उसके बाद वह सदन में आता है। तो यह एक प्रोसेस है जिसके तहत ये सारी चीजें होती हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और प्रत्येक राज्य के प्रस्ताव पर अलग से यह प्रक्रिया चालू की जाती है। तो उसका भी एक प्रोसीजर चल रहा है, पर इस लंबी प्रक्रिया की वजह से हम तत्काल ऐसी कोई बात न कहें, जिस से कोई और बात आए, पर हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी प्रस्ताव आए हुए हैं, उन्हें हम जल्दी से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। सभापति महोदय, इस में यह लंबी प्रक्रिया है जिस में प्रस्ताव राज्यपाल महोदय से लेकर राज्य सरकार से होकर प्रस्ताव आया तब जाकर यह clear होता है।

श्रीमती वृंदा कारत : आप अपनी पिनिसट्री में कमेटी का गठन कीजिए जिस में लोग आकर मिलेंगे और आपको जानकारी होगी और आप कुछ कर पाएंगे।

श्री कान्तिलाल भूषिया : जो भी सुझाव आया, निश्चित रूप से हम उसे देखेंगे।

डा. ऐजाज़ अली : सर, सवाल पेश करने से पहले मैं माननीय पिनिसटर साहब से एक बात कह देना चाहता हूँ। पेरी बात में ही पेरा सवाल छुपा हुआ है। सर, हम जरा धीरे बोलेंगे। सर, scheduled caste reservation में religious binding लगा हुआ है जिसके चलते दलित पुसलपान, दलित ईसाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, लेकिन scheduled tribe में किसी तरह का religious binding नहीं है।

ڈاکٹر اعجاز علی : سر، سوال پیش کرنے سے پہلے میں مانتے منسٹر صاحب سے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ میری بات میں بی میرا سوال چھپا ہوا ہے۔ سر، ہم ذرا دھیرے بولیں گے۔ سر، شیڈول کاسٹ ریزرویشن میں religious binding لگا ہوا ہے جس کے چلتے دلت مسلمان، دلت عیسائیوں کو ریزرویشن نہیں ملا ہے، لیکن شیڈول ٹرائب میں کسی طرح کا religious binding نہیں ہے۔

* Expunged as ordered by the Chair
[Transliteration in Urdu Script.]

श्रीसभापति: आप सवाल पूछिए।

डा. ऐजाज अली: पूरे देश में पवारी इलाकों के जो मुसलमान मूल निवासी हैं, जिनको आवाई मुसलमान कहते हैं, वे सब scheduled tribe origin के हैं, लेकिन सिर्फ लक्षद्वीप और जम्मू काश्मीर को छोड़कर बाकी हिंदुस्तान के जितने भी पवारी इलाके हैं, आप झारखंड देख लीजिए या मुर्शिदाबाद देख लीजिए, यहां के जो मूल निवासी मुसलमान हैं, उन्हें schedule tribe में नहीं रखा गया है। झारखंड की आबादी का 80 प्रतिशत मुसलमान, मूल निवासी मुसलमान tribal origin का है। वह किसी-न-किसी मुंडा, हो, पहाड़िया, रमजनिया ... (व्यवधान)...

ڈاکٹر اعجاز علی: پورے دیش میں پٹھاری علاقوں کے جو مسلمان نواسی ہیں، جن کو آبائی مسلمان کہتے ہیں، وہ سب schedule tribe origin کے ہیں، لیکن صرف لکھنڈیپ اور جموں کشمیر کو چھوڑ کر باقی ہندوستان کے جتنے بھی پٹھاری علاقے ہیں، آپ جہارکھنڈ دیکھ لیجئے یا مرشدآباد دیکھ لیجئے، یہاں کے جو مول نواسی مسلمان ہیں، انہیں شیڈول ٹرائب میں نہیں رکھا گیا ہے۔ جہارکھنڈ کی آبادی کا 80 فیصد مسلمان، مول نواسی مسلمان tribal origin کا ہے۔ وہ کسی نہ کسی منڈا، بو، پہاڑیا، نندیا ... (مداخلت)...

श्रीसभापति: सवाल पूछिए।

डा. ऐजाज अली: सर, तो हम यह जानना चाहेंगे कि सिवाय लक्षद्वीप के मुक्त के किसी भी हिस्से से इस category के मुसलमानों को किसी भी हाउस में, चाहे स्टेट हाउस हो या पार्लियामेंट हो, कहीं भी representation नहीं है। तो हम आपके माध्यम से Ministry से जानना चाहेंगे कि क्या आप ने कभी इस point पर भी सोचा है कि देश के मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग हैं, उनको tribal का दर्जा मिलना चाहिए और अगर आप ने सोचा है तो इस पर क्या कदम उठाया है?

ڈاکٹر اعجاز علی: سر، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سوائے لکھنڈیپ کے ملک کے کسی بھی حصے سے اس کٹیگری کے مسلمانوں کو کسی بھی ہاؤس میں، چاہے اسٹیٹ ہاؤس ہو یا پارلیمنٹ ہو، کہیں بھی representation نہیں ہے۔ تو ہم آپ کے مادھیم سے منسٹری سے جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ نے کبھی اس پوائنٹ پر بھی سوچا ہے کہ دیش کے مختلف علاقوں میں جو لوگ ہیں، ان کو ٹرائبل کا درجہ ملنا چاہئے اور اگر آپ نے سوچا ہے تو اس پر کیا قدم اٹھایا ہے؟

[Transliteration in Urdu Script.

श्री कांतिलाल भूरिया : माननीय सभापति महोदय, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह मोवार, मउवार जाति के लिए पूछा गया है। आप अगर अलग से प्रश्न पूछेंगे तो हम उसका जवाब देंगे।

श्री सिलवियस कोडपन : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने second supplementary question का जो उत्तर दिया है, मैं उसी सिलसिले में पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी जातियाँ अपनी-अपनी original states से हिंदुस्तान के ही विभिन्न प्रदेशों में चली गईं, उनको ब्रिटिश शासन के समय में लिया गया। अब वहाँ जाकर backward class हो गए और अपने original state में schedule tribe रह गए। तो अभी जो constitutionally discrimination हो रहा है, इस पर पिछले 60 सालों में भी चिंता नहीं की गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि क्या सरकार इस बारे में चिंता करेगी?

श्री कांतिलाल भूरिया : माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था कि यह प्रश्न मोवार जाति और मऊवार जाति के लिए ही पूछा गया है और माननीय सदस्य ने अलग-अलग स्टेट्स की जो बात कही है, वह अलग से प्रश्न पूछें, हम उसका जवाब देंगे ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Smt. Kapila Vatsyayan. ...**(Interruptions)**...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, the question is very much related to the original question. The Minister has not answered that... ...**(Interruptions)**...

MR. CHAIRMAN: In narrow technicalities, the hon. Minister is right. Please go ahead.

SHRI SITARAM YECHURY: Will you broaden the technicalities?

DR. (SHRIMATI) KAPILA VATSYAYAN: Sir, I would like to endorse the second supplementary just asked by Shrimati Brinda Karat. I think there is a need for relooking. The Minister said, this is a question of State Governments. Sir, anyone knows from the history of this country that the Tribes go across national or State boundaries. Also, in this country, this will not be a static category at all. And may I suggest that a Committee be formed in order to relook at the entire question of the SCs/STs?

Thank you.

श्री कांतिलाल भूरिया : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उस मामले में यह जरूरी नहीं कि कोई एक राज्य दूसरे राज्य में भी एक ही मान्यता ...**(व्यवधान)**... जांच-पड़ताल करने के बाद ही ये सारी चीजें सामने आती हैं, इसलिए हम अलग से इस बात को ...**(व्यवधान)**... आप जो भी बात अलग से पूछेंगे, हम बताएँगे ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती वृंदा कारत : सर, आप एक कमेटी के गठन का ऐलान तो कर दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है?

श्री के. बी. शणप्पा : सर, यह एस.सी. का मामला ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**...

श्री के. बी. शणप्पा : बाकी के जो लोग हैं, वे लिस्ट में ऐड किये गए हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : प्लीज़, आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... प्लीज़ ...**(व्यवधान)**... जी ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... Let us get on with the Question Hour.